मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव (2018)

जन घोषणा–पत्र

cecoedecon

Dairvi

जन घोषणा पत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक पहल है, जिसका उद्देश्य विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हुए राजनैतिक दलों को जन अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील करना है।

cecoedecon

सेन्टर फॉर कम्यूनिटी इकोनोमिक्स एण्ड डेवलपमेन्ट कन्सलटैंट्स सोसायटी

स्वराज परिसर, एफ–159–160, औद्योगिक व संस्थागत क्षेत्र सीतापुरा, जयपुर–302022 (राज.)

फोन : 0141–2771488, ई–मेल : cecoedecon@gmail.com वेबसाईट : www.ceocedecon.org.in

मध्य प्रदेश जन घोषणा–पत्र – 2018

चुनाव पूर्व जारी किया जाने वाला चुनावी घोषणा–पत्र विभिन्न राजनैतिक दलों की प्राथमिकताएं व विकास के प्रति उनके नजरिए को प्रस्तुत करता है। घोषणा–पत्र जनता से विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले वादों का दस्तावेज है, जिसके आधार प र सभी राजनैतिक दल जनता से समर्थन मांगते हैं। जनता से किए जाने वाले वादे जनता की अपेक्षानुरूप है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि चुनावी घोषणा–पत्र की प्रक्रिया में आमजन को भागीदार बनाया जाए ताकि उनकी जमीनी चिंताएं व मुद्दे राजनैतिक दलों के विकास एजेंडा का हिस्सा बन सके। वस्तुतः जन अकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प लोगों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी से ही पूर्णता की ओर बढ़ सकता है और यही प्रक्रिया टिकाऊ विकास (Sustainable Development) का रास्ता खोलती है।

इसी विचार को केन्द्र में रखते हुए सिकोईडिकोन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव पूर्व जन घोषणा–पत्र की पहल की गई। इसके तहत् जमीनी स्तर पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, जन–प्रतिनिधियों, महिला संगठनों, युवाओं के साथ प्रदेश की उन महत्वपूर्ण चिंताओं, जरूरतों व मुद्दों को चिन्हित किया गया जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, आजीविका से जुड़ी हुई है। इन मुद्दों को संकलित कर जन घोषणा–पत्र तैयार किया गया है।

यह घोषणा–पत्र सभी राजनैतिक दलों को इस अपेक्षा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि वे अपने चुनावी घोषणा–पत्र में आमजन की आकांक्षाओं को शामिल करते हुए उन्हें अपने विकास की प्राथमिकता में लाएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि जन घोषणा–पत्र की प्रक्रिया में राजनैतिक दलों व विकास कार्यों में जुटे विभिन्न संगठनों के बीच सृजनात्मक संवाद एवं रचनात्मक साझेदारी के रास्ते खुलेंगे।

हम राजनैतिक दलों से आग्रह करते है कि जनघोषणा पत्र की मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें ताकि विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी व जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित किया जा सकें। साथ ही उनके चुनावी घोषणा पत्र में एक ऐसे सतत् विकास की दृष्टि उभर कर आये जिसमें आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय विकास का संतुलन दिखाई पड़े।

जनअपेक्षाऐं

शिक्षा

- असर रिपोर्ट (2016) के मुताबिक बालिकाओं की ड्रॉप आऊट रेट 8.5 प्रतिशत थी, डाइस (DISE) रिपोर्ट के अनुसार सैकण्डरी स्तर में यह प्रतिशत 31.74 था। अतः बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने हेतु जनभागीदारी से मुहिम चलाने की जरूरत है।

- Child Right and You (CRY) के सर्वे के मुताबिक छत्तरपुर, दमोह, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, मण्डला, रीवा, सतना, शहडौल, शिवपुरी, उमरिया एवं विदिशा के करीब 90 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली का अभाव था, 77 प्रतिशत विद्यालय जल सुविधा से वंचित थे, 61 प्रतिशत विद्यालयों में पृथक से पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं थी एवं 5 प्रतिशत विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक पर आश्रित थे। अतः शिक्षा के अधिकार कानून में उल्लेखित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- शिक्षा की गुणात्मकता को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की तत्काल आवश्यकता है एवं ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जिसमें कि शिक्षाविदों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यभार न सौंपा जाए।

- महिला साक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों बढ़ाए जाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 49 वर्ष की केवल 14 प्रतिशत महिलाएं विद्यालय में 10 वर्ष तक उपस्थित रहती है जबकि भारत में यह दर 27 प्रतिशत है।

- 2015–16 के DISE के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के केवल 29 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली कनेक्शन है जो कि पूरे भारत के राज्यों में चौथे नम्बर पर है। अतः सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- शिक्षकों का प्रशिक्षण इस प्रकार हो कि वे केवल पढ़ाने के साथ सिखाने की प्रवृत्ति के साथ विद्यार्थियों से संबंध स्थापित करें।

- आदिवासी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

- शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते निजिकरण को नियंत्रित करने हेतु नियामक आयोग का गठन हो।

- पर्यावरण, कृषि व मूल्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

स्वास्थ्य

- बाल मृत्यु दर के संदर्भ में NFHS के सर्वे के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 2015–16 तक सर्वाधिक दर (65) पाई गई। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर भी 2015 तक 51 थी। अतः इस संदर्भ में सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं आम जन को सुलभ न हो पाना चिंता का विषय है। अतः प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में तत्काल चिकित्सकों के रिक्त पदों की भर्ती सुनिश्चित की जाए।

- NFHS के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के 42.8 प्रतिशत बच्चे कम वजन से व 15 से 49 वर्ष तक की 52.5 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं। इस स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश भर में जनभागीदारी से पोषण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

- नीति आयोग द्वारा घोषित हैल्थ इन्डेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।

- पारम्परिक व देशज चिकित्सा पद्धतियों को वैज्ञानिक आधार पर परखते हुए उस स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करने हेतु पहल की जाए।

- कुपोषण की समस्या का सामना करने हेतु विटामीन – ए व डी की कमी की पूर्ति के लिए खाद्य तेल एवं दूध में फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से राज्य में लागू किया जाए।

महिला एवं बाल विकास

- जनभागीदारी से महिला नीति का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें महिलाओं के बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक समग्र दृष्टिकोण के साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व उद्यम के विषय समाहित हो।

- सभी विभागों में जेंडर बजट का प्रावधान सुनिश्चित हो और उसे व्यवहार में क्रियान्वित किया जाए।

- पढ़ी–लिखी बेरोजगार महिलाओं के आंकड़ों का आंकलन करते हुए उन्हें रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं।

- प्रदेश में बच्चों व महिलाओं के साथ होने वाले शोषण, अत्याचार व हिंसा के आंकड़े चिंताजनक हैं। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश देशभर में सर्वोच्च स्थान पर है। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम व घरेलू हिंसा अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन की सख्त जरूरत है।
- बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए 'खेल का अधिकार' कानून लागू किया जाए।
- महिला आयोग केवल औपचारिक तंत्र बनकर नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करें।
- पाँचवीं अनुसूची में दर्ज क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु विशेश कार्यक्रम चलाए जाएं।
- आँगनबाड़ी केन्द्र केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित न हो बल्कि बच्चों में संस्कार, जिज्ञासा और रचनात्मकता के केन्द्र के रूप में विकसित हो।

वृद्धजन

- वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन, बढ़ती महंगाई के अनुपात में बढ़ाई जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक वृद्धजनों से जुड़े कानूनों व योजनाओं की जानकारी सुलभ करवाई जाए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ ले सकें।
- प्रत्येक जिले में सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम सुनिश्चित हो व इन सुविधाओं को गाइडलाइन में उल्लेखित किया जाए।
- प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए पृथक से वार्ड सुनिश्चित हो।
- वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना को संपूर्ण राज्य में लागू की जाए।
- बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान सुनिश्चित हो।
- प्रत्येक पंचायत में 'वृद्धजन फोरम' का गठन हो, जिसके माध्यम से वृद्धजनों की चिंताओं व समस्याओं का निदान हो सके।
- ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित बुजुर्ग मजदूरों के लिए पंचायत स्तर पर मध्यान्ह भोजन जैसा कार्यक्रम चलाया जाए।
- तहसील स्तर पर निराश्रित बुजुर्गों के लिए पृथक से Shelter home की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

- खेती में लागत कम करने व लागत का 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने हेतु व्यवहारिक नीति बनाई जाए।
- कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसका सामना करने हेतु विशेष कार्य– योजना तैयार की जाए, जिसमें किसानों व स्थानीय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- परम्परागत बीजों के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।
- प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- प्रदेश में जी.एम. (जेनेटिकली मॉडिफाइड) बीजों को अनुमति न दी जाए एवं बीज बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित किया जाए।
- अनुसूचित जाति, जनजाति को दिए गए पट्टों पर उन्हें काबिज कराना सुनिश्चित किया जाए।
- पंचायत स्तर पर कृषि आधारित उद्योग व फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाए।
- पंचायत स्तर पर भण्डारण गृह स्थापित किए जाएं।
- प्याज की तर्ज पर लहसुन व आलू का समर्थन मूल्य तय किया जावे एवं तय मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित किया जाए।
- महानरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए।
- खेती संबंधी योजना बनाने से पूर्व किसान संगठनों से चर्चा की जाए।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तहसील स्तर पर समुचित बाजार व्यवस्था विकसित की जाए व प्रदेश में जैविक क्लस्टर तैयार किया जाए।
- युवाओं को कृषि से जोड़ने हेतु विशेष कार्यशालाऐं तहसील स्तर पर आयोजित की जाऐं व कृषि में नवाचार के लिए प्रोत्साहन हेतु फैलोशिप प्रदान की जाए।
- आवारा पशुओं से खेती में होने वाले नुकसान को देखते हुए तारबन्दी हेतु किसानों को सब्सिड़ी उपलब्ध करायी जाये।
- वर्ष 2016 में 37 लाख किसानों द्वारा बीमा करवाया गया किन्तु मात्र 7.5 लाख किसानों को ही सही अनुपात में मुआवजा मिला। इस सम्बन्ध में फसल बीमा हेतु गांव को ईकाई मानते हुए मुआवजा तय किया जाए एवं प्राईवेट कम्पनियों के बीमा बाजार पर अंकुश लगाया जाए।

- खेती व पशुपालन विभाग को समाहित कर एक ही विभाग बनाया जाए ताकि समन्वय की समस्या से न जूझना पड़े।
- भावांतर योजना का अधिकांश लाभ व्यापारियों व बिचौलियों को ही मिलता है। मॉडल रेट का गणित न समझ पाने के कारण किसान असमंजस में है। अतः इस योजना को इस रूप में तैयार किया जाए कि इसका लाभ किसान को मिलना सुनिश्चित हो सके।
- किसानों की लागत कम करने हेतु प्रत्येक 10–12 गॉवों पर एक मंडी सुनिश्चित की जाए।

पर्यावरण संरक्षण

- वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्युट ने नर्मदा को विश्व की ऐसी 6 बड़ी नदियों में रखा है जिनका अस्तित्व खतरे में है। नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु स्थानीय आदिवासी समुदाय, आमजन व सरकारी तन्त्र को साथ जुटकर एक सम्रग कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
- केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में भूजल में काफी गिरावट आई है जल संरक्षण हेतु सघन अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है
- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के मुताबिक राज्य में घने आच्छादित व कम घने आच्छादित जंगलों में कमी दर्ज की गई है। इस हेतु वन संरक्षण कार्यक्रम जन भागीदारी, विशेषज्ञों के सहयोग से क्रियान्वित किये जाऐं।
- 2016 में वायु प्रदूषण में ग्वालियर देश का प्रथम शहर था। सिंगरोली, जबलपुर व इन्दौर की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं कही जा सकती है इस सम्बन्ध में तकनीक व स्थानीय उपायों के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- नर्मदा सहित प्रदेश की सभी नदियों के किनारे नदी श्रृंगार केन्द्र विकसित किए जाए जिसमें जैविक खेती, फल संरक्षण, वृक्षारोपण, परम्परागत ज्ञान के संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित हो।
- सार्वजनिक तालाबों को पुनर्जिवित करने हेतु जनभागीदारी से अभियान चलाया जाए।
- 2016 तक प्रदेश के 40 प्रतिशत कुऐं सूखने के कगार पर थे। अतः कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाए।

रोजगार

- प्रदेश में रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। इकॉनोमिक्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के केंद्र में पंजीकृत 11.24 लाख पढ़े–लिखे बेरोजगार युवक–युवतियों में से वर्ष 2017 में मात्र 422 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। अतः नौजवान युवक–युवतियों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना नई सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए।
- परम्परागत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर परम्परागत उद्योगों को चिन्हित कर, लघु उद्योग विकसित किए जाए।

शहरी विकास

- नगर स्वराज के लिए 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ समुचित रूप से लागू किया जाए।
- Solid Waste Management के लिए ठोस कदम उठाए जाऐं।
- शहर के विकास का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया जाए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय परिस्थितियों का संतुलन हो।

अन्य

- राज्य में बढते भ्रष्टाचार पर लगाम कसने हेतु Zero Tolerance for Corruption के तहत जिलेवार रेंकिंग की जाये एवं जन भागीदारी से भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाया जाये।
- आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज से आजीविका चलाने वाले वनवासियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध करवाया जाये।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट चेन्ज के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं उनमें आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना को क्रियान्वित किया जाये।
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत् विकास लक्ष्यों को आमजन से जोड़ने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य योजना बनायी जाये। प्रदेश के बजट में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का समावेश किया जाये।